



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 495]
No. 495]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 24, 2014/आश्विन 2, 1936
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 24, 2014/ASVINA 2, 1936

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2014

सा.का.नि. 683(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 18 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तत्कालीन कार्मिक तथा प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 610(अ), तारीख 26 जुलाई, 1985 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

2. उक्त अधिसूचना की सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :—

सारणी

क्रम सं (1)	न्यायपीठ (2)	न्यायपीठ का अधिकार क्षेत्र (3)
1.	प्रधान न्यायपीठ (नई दिल्ली)	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली।
2.	अहमदाबाद न्यायपीठ	गुजरात राज्य
3.	इलाहाबाद न्यायपीठ	(i) लखनऊ न्यायपीठ की अधिकारिता के अधीन क्रम संख्या 4 के सामने उल्लिखित जिलों को छोड़कर उत्तर प्रदेश राज्य। (ii) उत्तरांचल राज्य
4.	लखनऊ न्यायपीठ	(ii) उत्तर प्रदेश राज्य में लखनऊ, हरदोई, खीरी, राय बरेली, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, बहराईच, श्रावस्ती, बाराबंकी, गोंडा, बलरामपुर, प्रतापगढ़ और सुलतानपुर जिले।

5.	बंगलौर न्यायपीठ	कर्नाटक राज्य ।
6.	कोलकाता न्यायपीठ	(i) सिक्किम राज्य (ii) पश्चिम बंगाल राज्य (iii) संघ राज्य क्षेत्र अंदमान और निकोबार द्वीप समूह
7.	चंडीगढ़ न्यायपीठ	(i) जम्मू-कश्मीर राज्य (ii) हरियाणा राज्य (iii) हिमाचल प्रदेश राज्य (iv) पंजाब राज्य (v) संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़
8.	कटक न्यायपीठ	उड़ीसा राज्य
9.	एर्नाकुलम न्यायपीठ	(i) केरल राज्य (ii) लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र ।
10.	गुवाहाटी न्यायपीठ	(i) असम राज्य (ii) मणिपुर राज्य (iii) मेघालय राज्य (iv) नागालैंड राज्य (v) त्रिपुरा राज्य (vi) अरुणाचल प्रदेश राज्य (vii) मिजोरम राज्य
11.	हैदराबाद न्यायपीठ	(i) आंध्र प्रदेश राज्य (ii) तेलंगाना राज्य
12.	जबलपुर न्यायपीठ	(i) मध्य प्रदेश राज्य (ii) छत्तीसगढ़ राज्य
13.	जोधपुर न्यायपीठ	जयपुर न्यायपीठ की अधिकारिता के अधीन क्रम संख्या 14 के सामने उल्लिखित जिलों को छोड़कर, राजस्थान राज्य ।
14.	जयपुर न्यायपीठ	राजस्थान राज्य के अजमेर, अलवर, बारां, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझून, कोटा, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक तथा करौली जिले ।
15.	चेन्नई न्यायपीठ	(i) तमिलनाडु राज्य (ii) संघ राज्यक्षेत्र पुडुचेरी
16.	मुंबई न्यायपीठ	(i) महाराष्ट्र राज्य (ii) गोवा राज्य (iii) दादरा नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र (iv) दमन और दीव संघराज्य क्षेत्र ।
17.	पटना न्यायपीठ	(i) बिहार राज्य (ii) झारखंड राज्य

[फा. सं. ए-11019/5/2014-प्र.अ.]

ममता कुंद्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में सा.का.नि. सं. 610(अ), तारीख 26 जुलाई, 1985 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गई --

1. सा.का.नि. संख्या 824(अ) तारीख 31.10.1985
2. सा.का.नि. संख्या 308(अ) तारीख 20.02.1986
3. सा.का.नि. संख्या 908(अ) तारीख 25.06.1986
4. सा.का.नि. संख्या 921(अ) तारीख 27.06.1986
5. सा.का.नि. संख्या 897(अ) तारीख 01.09.1988
6. सा.का.नि. संख्या 525(अ) तारीख 12.08.1991
7. सा.का.नि. संख्या 631(अ) तारीख 15.10.1991
8. सा.का.नि. संख्या 418(अ) तारीख 09.04.1992
9. सा.का.नि. संख्या 646(अ) तारीख 18.08.1994
10. सा.का.नि. संख्या 890(अ) तारीख 23.11.2000